POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.08.2023

1.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी फूड सप्लीमेन्ट, रैपर, खाली डिब्बे, पैकिंग मशीन व प्रिन्टिंग मशीन बरामद। (समस्त सामान जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 95 लाख से 01 करोड़ रूपये है।)

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 29/08/2023 को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा घटनास्थल सी-140, सेक्टर-63 से अभियुक्त 1-अमित कुमार साव पुत्र ढालचन्द 2.अजय सिहं पुत्र माधव सिंह 3.रोशन पुत्र दिनेश को फर्जी फूड सप्लीमेन्ट जिसमें कुछ तैयार माल व कुछ अधबना माल, रैपर, खाली डिब्बे, पैकिंग मशीन व प्रिन्टिंग मशीन जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग (95 लाख से 01 करोड़ रूपये) है, के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने लगभग दो वर्ष तक गुरूग्राम में सप्लीमेन्ट बनाने का काम सीखा था जो अपना खुद का काम करना चाहते थे, जो यश नाम के व्यक्ति के सम्पर्क में आये। यश के साथ मिलकर चारो ने खुद का काम करना शुरू कर दिया। जिससे ये लोग काफी मोटा मुनाफा कमाते थे। अभियुक्तों द्वारा बहुत कम खर्चे मे बिना मापदण्ड व लैब परीक्षण के फर्जी फूड सप्लीमेन्ट तैयार कर और असली फूड सप्लीमेन्ट के रूप में कम्पनी का रैपर लगाकर ग्राहको को ऊंची कीमतो मे बेचा जाता था, एक किलोग्राम का फूड सम्पलीमेन्ट कार्टल-वे कम्पनी का डिब्बा तैयार कर ये लोग उसे मार्केट में 4,000 से 5,000 रूपये तक का बेचते थे। इन तैयार फर्जी फूड सम्पलीमेन्ट को दिल्ली, हरियाणा के अलग-अलग शहरो व नोएडा आदि क्षेत्रों में उँचे दामो पर बेचते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1- अमित कुमार साव पुत्र ढालचन्द निवासी ग्राम चमरखो, पोस्ट बद्दिहा, थाना मुफ्फसिल गिरीडीह, जिला गिरीडीह, झारखण्ड वर्तमान पता हरिशंकर का किराये का मकान, राइजिंग सोसायटी के पीछे, गांव गिझोड़, थाना सेक्टर-24, नोएडा उम्र 24 वर्ष।
2- अजय सिहं पुत्र माधव सिंह निवासी ग्राम सेरुआ, थाना गांवा, जिला गिरीडीह, झारखण्ड वर्तमान पता अमर पाल यादव का मकान, ग्राम सर्फाबाद, थाना सेक्टर-113, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।
3- रोशन पुत्र दिनेश निवासी ग्राम सेरुआ, थाना गांवा, जिला गिरीडीह, झारखण्ड वर्तमान पता अमर पाल यादव का मकान, ग्राम सर्फाबाद, थाना सेक्टर-113, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।

अभियोग का विवरण--

1- मु0अ0सं0 399/2023 धारा 272/273/420/34/120 बी भादवि थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. छोटे व बड़े खाली प्लास्टिक के डिब्बे-3740 पीस
2. स्कूप (चम्मच प्लास्टिक) अलग-अलग साइज-5000 पीस
3. 15 बोरे माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर प्रत्येक बोरा 25 किलोग्राम-कुल 375 किग्रा0
4. 05 बोरे व्हे प्रोटीन प्रत्येक बोरा-25 किग्रा0 कुल 125 किग्रा0
5. 250 डिब्बे तैयार व्हे प्रोटीन प्रत्येक डिब्बा 1 किग्रा0-कुल 250 किग्रा0
6. 200 डिब्बे तैयार व्हे प्रोटीन प्रत्येक डिब्बा 2 किग्रा0-कुल 400 किग्रा0
7. खाली कैप्सूल शैल करीब 07 हजार
8. ग्लाइसेन पाउडर-25 किग्रा0
9. क्रिएटिन-100 किग्रा0
10. पैकिंग मशीन 02

11. प्रिटिंग मशीन 01
12. पैकिंग लैबल-250 पीस
13. खाली ट्यूब पैकिट-50 पीस

2.थाना नॉलेजपार्क पुलिस द्वारा, फर्जी एसटीएफ बनकर राहगीरों को अपनी गाड़ी में बैठाकर रंगदारी वसूलने वाली घटना का 05 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को अवैध हथियार व 5,000 रूपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 29.08.2023 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा शारदा गोलचक्कर से एलजी गोलचक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त श्यामवीर उर्फ पिन्टू उर्फ अभिषेक पुत्र राकेश सिंह को एक अवैध तमंचा .315 बोर मय रंगदारी के 5,000 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0स0 174/2023 धारा 323/170/506/386/379 भादवि पंजीकृत है। मुकदमा उपरोक्त में 5 हजार रूपये बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। तथा तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 176/2023 धारा 3/25 ए.एक्ट पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्त श्यामवीर उर्फ पिन्टू उर्फ अभिषेक उपरोक्त द्वारा अपने साथी दीपांशु उर्फ बन्टी उर्फ अंकित पुत्र अनिल यादव के साथ मिलकर एलजी गोलचक्कर, थाना नॉलेजपार्क के पास एक स्विफ्ट कार रजि0 नं0 यूपी 14 एफसी 4142 में सवार होकर एलजी गोलचक्कर के पास घूम रहे 1-अंश पुत्र सुशील 2-आर्यन पुत्र सुखवीर निवासीगण ग्राम लुक्सर, थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर को अपनी गाड़ी मे बैठा लिया और कहा कि हम लोग एसटीएफ से है और छोडने के एवज मे 20 हजार रुपये लिए। अभियुक्तों द्वारा पूर्व मे भी इस प्रकार की कई घटनाएं की जा चुकी है जो पेशेवर अपराधी है। अभियुक्त के फरार साथी की तलाश की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण--
1. श्यामवीर उर्फ पिन्टू उर्फ अभिषेक पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम नंगला हीरे, थाना भरथना, जिला इटावा, उ0प्र0 वर्तमान पता तेजा गुर्जर का मकान, ग्राम तुगलपुर, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--
1. मु0अ0सं0 174/2023 धारा 323/170/506/386/379/411 भादवि थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 176/2023 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 595/2022 धारा 364/394/411/419/420/467/468/471 थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 335/2022 धारा 120बी/323/342/384 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 1164/2018 धारा 394 भादवि थाना सै0-39 कमि0-गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 1168/2018 धारा 171/392/411 भादवि थाना सै0-39, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 272/2019 धारा 394/411 भादवि थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
1. एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस
2. 5 हजार रूपये।